# न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

ीन अधिकारी:—गौरव कुमार मित्तल( आर0ए0एस0)

मु0न0 /2024 ता0रजू 05.03.2024 निर्णय दिनांक 20/1/2026

जब्बों पत्नी गफूर जाति मुस्लमान गदी उम्र 65 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी दोंदरी कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

प्रार्थी

**बनाम**

. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

स्थित:—

1. श्री इंसाफ अली एड0 प्रार्थी की और से।

## :— निर्णय —:

• प्रार्थी ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है यह कि प्रार्थीया खास ग्राम दौबड़ा कलाँ तहसील व जिला सवाई माधोपुरकी स्थाई निवासीया है। विपक्षी संख्या 1 जो राज्य सरकार का प्रतिनिधी होकर सवाईमाधोपुर तहसील का लैण्ड होल्डर है। प्रार्थीया ने दिनांक 10.12.2003 में आराजी साविक खसरा न0 576रकबा 2 बिघा 1 बिस्वा भूमि ग्राम दौबड़ा कलां स्थित आराजी में से 1/5हिस्सा मुबलिग राशि 20,000/— रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उसके मूल स्वामी खातेदार तैय्यबा पुत्र हुसैन निवासी दौबड़ा कलां से क्रय की थी।उक्त रजिस्टर्ड बयनामें के आधार पर उक्त आराजी साविक खसरा न0 576 बा 2 बीघा 14 बिस्वा का हिस्सा 1/5 का नामान्तरण दिनांक 20.01.2004 को नामान्तकरण यंख्या 48 हिस्सा 1/5 प्रार्थीया जब्बों पत्नी गफूरा निवासी दौबड़ा कलां के नाम सही खोला गया। मगर उक्त नामान्तकरण का अमल नामान्ताकरण दिनांक व सम्वत् की उसी



उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

जमाबंदी में सहवन से प्रार्थीया का नाम बतौर खातेदार जन्नो पत्नी गफूर दर्ज कर दिया। जबकि जमाबन्दी में मुताबिक रजिस्ट्री व नामान्तकरण अनुसार प्रार्थीया का सही नाम जब्बो पत्नी गफूर होना चाहिये था और समस्त सरकारी रिकॉर्ड में प्रार्थीया का सही नाम जब्बों पत्नी गफुर ही है। मगर जमाबन्दी में सहवन से जन्नों कर दिया है। जिसें जब्बों कराना आवश्यक है। उक्त गलती राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुई है। उन्हे जमाबन्दी में अमल प्रार्थीया का नाम रजिस्ट्री व नामान्तकरण के अनुसार करना चाहिये था। उक्त गलती राजस्व कर्मचारियों द्वारा वक्त नामान्तकरण के अनुसार प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 के अमल में हुई है। जिसकी प्रार्थीया को कोई जानकारी नही थी। जानकारी दिनांक 20.02.2024 को अपने खाते की नकल के.सी.सी. बनवाने हेतु निकलवाने पर हुई इससे पूर्व प्रार्थी को कोई जानकारी नही थी। जानकारी दिनांक से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। आराजी साबिक खसरा न0 576 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा न० 1260, 1261, 1262 व 1263 रकबा 0.68 है0 ग्राम दौबड़ा कलां है। प्रार्थीया जब्बों पत्नी गफूर व जन्नो पतनी गफूर एक ही औरतप्रार्थीया ही है। प्रार्थीया का सही नाम जब्बो पत्नी गफूर है। प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार निर्णित / आदेशित फरमाया जावेः–आराजी खाता संख्या 53 खसरा न0 हाल 1260, 1261, 1262,1263 समवत् 2075 से 2078 ग्राम दौबड़ा कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में क्रम संख्या 7 पर जन्नों पत्नी गफूर के स्थान पर जब्बों पत्नी गफूर किये जाने के आदेश प्रदान करें। अन्य काई दादरसी जो न्यायालय मुफीद समझे प्रार्थीया को अप्रार्थी से दिलाया जाये।

- प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2075–78(2077 से स्थायी) खाता संख्या 53 खसरा नंबर 1260/0.16, 1561/0.17, 1262/0.17, 1263/0.18 किता 4 रकबा 0.68 है0 पर वादीया जन्नो पत्नी गफूर हि0 1/5 जाति गदी सा0 देह खातेदार दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नंबर 1260, 1261, 1262, 1263 किता 4 रकबा 0.68 है0 का साबिक खसरा नंबर 576 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा था। मुताबिक रजि0 विकय पत्र



उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

के साबिक खसरा नंबर 576 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा का हि0 1/5 वादिया जब्बो पत्नी गफूर द्वारा क्रय की गई थी। मुताबिक नामा0 संख्या ग्राम दौबड़ा कलां के 48 दिनांक 20.01.2004 के वादिया का नाम विक्रय पत्र का नामान्तकरण दर्ज हुआ था। प्रति संलग्न है। जमाबंदी सम्वत 2063–2066 में लिपिकीय त्रुटि के कारण जब्बो पत्नी गफूर हि0 1/5 के स्थान पर जन्नो पत्नी गफूर हि0 1/5 का गलत इंद्राज हो गया है। मुताबिक रजि0 विक्रय पत्र व नामा0 संख्या 48 दिनांक 20.01.2004 के आधार पर वादिया का नाम जन्नो के स्थान पर जब्बो शुद्व किया जाना उचित होगा।

- प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस की। बहस में वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीया ने दिनांक 10.12.2003 में आराजी साविक खसरा न0 576 रकबा 2 बिघा 1 बिस्वा भूमि ग्राम दौबड़ा कलां स्थित आराजी में से 1/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उसके मूल स्वामी खातेदार तैय्यबा पुत्र हुसैन निवासी दौबड़ा कलां से क्रय की थी। उक्त रजिस्टर्ड बयनामें के आधार पर उक्त आराजी साविक खसरा न0 576 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा का हिस्सा 1/5 का नामान्तरण दिनांक 20.01.2004 को नामान्तकरण संख्या 48 हिस्सा 1/5 प्रार्थीया जब्बों पत्नी गफूरा निवासी दौबड़ा कलां के नाम सही खोला गया। मगर उक्त नामान्तकरण का अमल नामान्तकरण दिनांक व सम्वत् की उसी जमाबंदी में सहवन से प्रार्थीया का नाम बतौर खातेदार जन्नो पत्नी गफूर दर्ज कर दिया। जबकि जमाबन्दी में मुताबिक रजिस्ट्री व नामान्तकरण अनुसार प्रार्थीया का सही नाम जब्बो पत्नी गफूर होना चाहिये था और समस्त सरकारी रिकॉर्ड में प्रार्थीया का सही नाम जब्बों पत्नी गफुर ही है। मगर जमाबन्दी में सहवन से जन्नों कर दिया है।
- प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट मे बताया है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2075–78(2077 से स्थायी) खाता संख्या 53 खसरा नंबर 1260/0.16, 1561/0.17, 1262/0.17, 1263/0.18 किता 4 रकबा 0.68 है0 पर वादीया जन्नो पत्नी गफूर हि0 1/5 जाति गद्दी सा0 देह खातेदार दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नंबर 1260, 1261, 1262, 1263 किता 4 रकबा 0.68 है0 का साबिक खसरा नंबर 576 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा था। मुताबिक रजि0 विक्रय पत्र के साबिक

उप जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर

खसरा नंबर 576 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा का हि0 1/5 वादिया जब्बो पत्नी गफूर द्वारा कय की गई थी। मुताबिक नामा0 संख्या ग्राम दोबडा कलां के 48 दिनांक 20.01.2004 के वादिया का नाम विकय पत्र का नामान्तकरण दर्ज हुआ था। प्रति संलग्न है। जमाबंदी सम्वत 2063–2066 में लिपिकीय त्रुटि के कारण जब्बो पत्नी गफूर हि0 1/5 के स्थान पर जन्नो पत्नी गफूर हि0 1/5 का गलत इंद्राज हो गया है। मुताबिक रजि0 विकय पत्र व नामा0 संख्या 48 दिनांक 20.01.2004 के आधार पर वादिया का नाम जन्नो के स्थान पर जब्बो शुद्व किया जाना उचित होगा। प्रकरण में तहसीलदार सवाई माधोपुर की अभिशंषा होने तथा प्रकरण में अशुद्वि होने के कारण प्रकरण को स्वीकार किया जाना उचित है।

## :– कियात्मक आदेश–:

उक्त विवेचन, तथ्यो के आधार एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि राजस्व ग्राम दोबडाकलॉं के खसरा नम्बर 1260, 1261, 1262, 1263 कुल किता 4 कुल रकबा 0.68 हैक्0 में जन्नो पत्नी गफूर के स्थान पर जब्बो पत्नी गफूर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे शेष इन्द्राज बदस्तूर यथावत रहेगा। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई माधोपुर को भिजवायी जावे। निर्णय आज दिनांक 20/1/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हो।

(गौरव कुमार मित्तल)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर